

माननीय सदस्यों ने महसूस किया होगा कि सत्र के दौरान अर्थात् अत्यंत लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ये मामले अब तक शून्य काल में उठाये जाते थे।

कुछ समय से उठाये जाने वाले मामलों की संख्या इतनी अधिक हो गयी थी कि मामलों की विनियमित करना कठिन हो रहा था। इसके अलावा, यह विधायी अथवा अन्य कार्य के लिए आबंटित समय भी ले रहा था। दिनांक 24 जुलाई, 2005 को हुई नेताओं की बैठक में एक नयी प्रक्रिया पर सहमति हुई जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यह प्रक्रिया दिनांक 1 अगस्त, 2005 से प्रभाव में आ गयी है। अब शून्य काल के दौरान केवल 5 राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों को उठाने की अनुमति है, शेष मामले सदस्यों द्वारा सायं छः बजे के बाद उठाए जाते हैं। सदस्यों द्वारा देर रात्रि में बैठकर अत्यंत लोक महत्व के 350 मामलों को उठाया गया। इस नयी प्रक्रिया से विधायी अथवा अन्य सूचीबद्ध कार्य को निश्चित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और सदस्यों को मामले उठाने का अवसर भी निश्चित तौर पर मिल जाता है इसके अलावा माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 273 मामले भी उठाए।

इस सत्र में लगभग 10 घंटे से अधिक समय नष्ट हुआ। अनुशासन भंग करने की एक गंभीर घटना की सभा के सभी वर्गों द्वारा निंदा की गयी और आशा की जाती है कि भविष्य में अनुशासन भंग करने की इस प्रकार की गंभीर घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

इस सत्र के दौरान सभा में व्यवधानों आदि के कारण नष्ट हुए समय क्षतिपूर्ति और सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा 18 दिन 36 घंटों से अधिक समय के लिए देर रात्रि तक बैठी। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सभा के सभी वर्गों ने सहयोग किया और हृदय से समर्थन किया। मैं सदस्यों की चर्चाओं में जोश और निष्ठापूर्वक भाग लेने की उनकी सामूहिक वचनबद्धता के लिए सराहना करता हूँ।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को मुझे और सभापति तालिका के मेरे सहयोगियों को सभा के कार्य को निपटाने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझको और मेरे सहयोगियों को अपना पूरा सहयोग देने के लिए मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रैस और मीडिया को, जो देर रात्रि तक हमारे साथ बैठकर सहयोग करते रहे, धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं मीडिया के अपने मित्रों से अपील करता हूँ कि वे सभा की कार्यवाही को कवरेज में अधिक स्थान दें ताकि लोकतंत्र के इन दोनों प्रमुख स्तंभों की गरिमा बढ़ सके। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, दूरदर्शन, सी.पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य अनुषंगी एजेंसियों को सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन में सहायता देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम लोक सभा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के समापन पर पहुंच गए हैं। वास्तव में इस सत्र को एक ऐतिहासिक सत्र कहा जा सकता है क्योंकि इस सत्र में लोगों विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई विधायी कदम उठाए गए हैं और इससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें और मजबूत होंगी। महोदय, मैं जानता हूँ कि ऐसे अनेक कठिन क्षण आए हैं और मैं एक बार पुनः इस सम्मानित सभा की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में आपकी बुद्धिमता, धैर्य और जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

तथापि मुझे आशा है कि मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि चौदहवीं लोक सभा के इस सत्र के दौरान हम अधिक कार्य का निष्पादन कर पाए हैं और अधिक सार्थक चर्चाएं कर पाए हैं। मैं आपको और सभा के सदस्यों को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका को सभा की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वजह से सभा द्वारा काफी अधिक कार्य का निपटान किया गया।

महोदय, सत्र के दौरान निपटायें गए कार्य में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। जिसमें पारित किये गए विधेयक, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चाएं सम्मिलित हैं। हमने विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिये गए 10 वक्तव्यों पर भी चर्चा की इसमें मेरी अमरीका यात्रा में संबंध में दिया गया वक्तव्य भी शामिल है।

चर्चा और भाषण की गुणवत्ता का भी एक आयाम है और निश्चित तौर पर इस सत्र में यह उच्च स्तर पर रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि सभा के कार्यों के निष्पादन में समय के उपयोग में मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ फिर भी मेरा मानना है कि इस सत्र के दौरान काफी विधायी कार्यों को पूरा किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आज पूरा विश्व हमें सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में देखता है। हम विकासशील देशों के लिए एक अनूठा उदाहरण है जो इतनी व्यापक विविधता, के साथ अपनी समस्याओं के हल को मुक्त सामाजिक ढांचे और लोकतंत्र के माध्यम से खोज रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि कल काबुल में अफगानी संसद की आधारशिला रखे जाने के समारोह में राष्ट्रपति हमीद करज़ई के शब्दों को सुनते हुए मेरा हृदय गर्व से भर गया। राष्ट्रपति करज़ई ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हमारी सफलता ने विकासशील देशों को यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र विकसित पूरिचमी देशों की ही विशेषता नहीं है। वास्तव में "पूर्वी संस्कृति वाले देश भी सफल लोकतांत्रिक राजनीति का उदाहरण रख सकते हैं।"

राष्ट्रपति करज़ई ने कहा "भारत की 100 करोड़ से भी

[डा. मनमोहन सिंह]

अधिक की जनसंख्या में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों को मानने वाले वे विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। अपने लोगों को राजनीतिक में भागीदारी की सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत ने स्थिर एवं बहुसंख्यक लोकतंत्र को भारतीयों के लिए एक वास्तविकता बनाया है। सामान्यतः एशियाई और अफ्रीकी देश तथा विशेषकर अफगानिस्तान भारत के प्रचुर अनुभवों से सीख सकता है।" अतः लोकतंत्र के सफल संचालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल अपने लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि विश्व के लोगों को भी यह विश्वास दिलाना है कि हमारा लोकतंत्र वास्तव में हमारे सभी लोगों के लिए कार्यरत है। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की सफलता के पीछे विश्व के करोड़ों लोगों का हाथ है क्योंकि वे भी लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और सम्मान की आकांक्षा रखते हैं।

एक पड़ोसी देश द्वारा व्यक्त ऐसी भावना के प्रति सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा उठा जाता है। लोकतांत्रिक जीवनशैली और शासन प्रणाली अंगीकार करने के प्रति मैं अफगानिस्तान के साहस, सहनशीलता और बुद्धिमत्ता को नमन करता हूँ। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हम हर संभव सहायता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में बात करते हैं तो वह मात्र शब्दजाल नहीं होता। मुझे खुशी है कि संसद के इस सत्र में हमारे निर्धनतम लोगों के लिए लोकतंत्र के महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार को इस सत्र के दौरान पारित ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर गर्व है। सत्ता सम्भालने के समय हमारी सरकार द्वारा किये गए एक वायदे को पूरा किया गया है। अब चुनौती यह है कि इस आश्वासन का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे। अब इसका उत्तरदायित्व रोजगार गारंटी अधिनियम को क्रियान्वित करने वालों विशेषकर पंचायती राज संस्थानों पर है। लाभकारी परियोजनाओं के चयन और निधियों के उपयोग में लापरवाही व भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीकों को रोकने में अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

महोदय, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हमारे द्वारा किये गए वायदों या बनाये गए कानूनों पर आधारित नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास तभी जमता है जब लोकतंत्र की विशेषताएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

हमें इस बात का भी गर्व है कि इस सत्र में हमने अपनी महिला सशक्तीकरण संबंधी विधान पारित किया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके अपनी बहनों और बेटियों से बहुत पहले किया गया वायदा पूरा किया गया है। हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

महोदय, समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति सजग रहना ही हमारे लोकतंत्र की सही परीक्षा है। हमारे देश के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय में महिलाओं हेतु

सीटों के आरक्षण की दिशा में आगे न बढ़ पाने का मुझे दुख है। लेकिन देश की आधी जनसंख्या की इस न्यायोचित मांग के प्रति अपनी वचनबद्धता मैं दोहराता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सम्माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने महत्वपूर्ण विधायी कार्य के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसकी वह अध्यक्ष हैं, के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने लोगों के हितों से जुड़े कार्य करके देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार अपने देश के लोगों की अपेक्षाओं का पूरा करेगी और लोकतंत्र में उनके विश्वास को और सुदृढ़ करेगी।

महोदय, मैं एक बार फिर उपाध्यक्ष महोदय तथा लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों का इस सत्र में सभा के कार्य के सफल संचालन हेतु अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है और आपने जो वृत्त सुनाया कि हम इस सत्र में कितना काम कर सकें, वह स्वयं में इस बात का परिचायक है कि संसद ने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाया है। और विपक्ष की ओर से बोलते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि इस सत्र में विपक्ष ने जो रचनात्मक भूमिका निभायी है, विपक्ष के नाते अपनी जवाबदारी से सरकार की कमियों को ध्यान दिलाते हुए और आवश्यकता पड़ी तो प्रभावी रूप से उस बात को रखते हुए, हमने कुल मिलाकर इस सारे सत्र में जिस प्रकार का सहयोग दिया, मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार का सही दृष्टिकोण है और इसके लिए आपको, सरकारी पक्ष को, सचिवालय के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ और सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। माननीय सदस्यगण अब वन्दे मातरम गान के लिए खड़े हो जाएँ।

अपराह्न 2.29 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.30 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।